Order Sheet [Contd.]

Case No..................of 202..................

Date of Order or Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders Where necessary

एससीएनआईए प्र.क्र. 475/2018

श्रीमती झूमकीबाई **विरुद्ध** शैलेन्द्र

दिनांक–09/03/2024

प्रकरण आज दिनांक 09/03/2024 को नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क. 08 के समक्ष पेश।

परिवादी द्वारा श्री सिद्धार्थ जैन, अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त शैलेन्द्र द्वारा श्री अय्युब शेख, अधिवक्ता उपस्थित।

अनुपस्थित अभियुक्त का हाजरी माफी आवेदन पेश। बाद विचार स्वीकार।

प्रकरण आज राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

दिनांक 15.12.2023 के आदेश पत्रिका के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण मे परिवादी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया था कि उसका अभियुक्त से न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है तथा उक्त प्रकरण को नही चलाना चाहते है। उक्त आवेदन पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार दर्शित नही होता है। अतः अभियुक्त शैलेन्द्र को एन.आई.एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

उभयपक्ष की पहचान श्री सिद्धार्थ जैन, अधिवक्ता के द्वारा की जा चुकी है।

प्रकरण का निराकरण लोक अदालत में होने के कारण परिवादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क विधि अनुसार वापस करने के संबंध में प्रमाण पत्र जारी हो।

अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत अवधि के संबंध मे धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य क. 1 [signature]
श्री [illegible], संदस्य
धर्मेन्द्र सोलंकी

[signature] 9/3/2024
{श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजुमदार}
खण्डपीठ कमांक– 08
धार जिला धार {म.प्र.}